



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1046]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2010/ज्यैष्ठ 10, 1932

No. 1046]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2010/JYAISTHA 10, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2010

विषय : (1) दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अस्तित्व में आने से, बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के कारण उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य प्रभारों हेतु लागू की जाने वाली दरों का निर्धारण।

(2) दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन होने से होटलों को बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ. ए. आर.) प्रदान करने के लिए प्रभारों का निर्धारण।

का.आ. 1257(अ).—दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लागू होने से (1) बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात के कारण उपयोग परिवर्तन, मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य प्रभारों हेतु लागू की जाने वाली दरों के निर्धारण, और (2) दि.मु.यो.-2021 में संशोधन होने से होटलों को बढ़े हुए एफ. ए. आर. प्रदान करने हेतु प्रभारों के निर्धारण की दरों को सं. का.आ. 2955(अ), दिनांक 23-12-2008 द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए अधिसूचित किया गया था और इन दरों को सं. का.आ. 544(अ), दिनांक 25-02-2009 एवं सं. का.आ. 567(अ), दिनांक 27-02-2009 द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा सं. का.आ. 2906(अ), दिनांक 17-11-2009 की अधिसूचना द्वारा इन्हें वर्ष 2008-2009 के लिए बढ़ाया गया था। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा वर्ष 2009-2010 के लिए भी इन दरों को आगे बढ़ा दिया है।

[फा. सं. एफ. 20(4) 05/एमपी/पार्ट-1 ए]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2010

Sub: (1) Fixation of the rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges for enhanced FAR arising out of MPD-2021.

(2) Fixation of charges for grant of enhanced FAR to hotels arising out of modification in MPD-2021

S.O. 1257(E).—The rates for (1) fixation of the rates to be applied for use conversion, mixed land use and other charges of enhanced FAR arising out of MPD-2021, (2) Fixation of charges for grant of enhanced FAR to hotels arising out of modification in MPD-2021 were notified for the year 2007-2008 vide No. S.O. 2955(E), dated 23-12-2008 and modified through notifications issued vide No. S.O. 544(E), dated 25-02-2009 and No. S.O. 567(E), dated 27-02-2009 and extended for the year 2008-2009 vide notification No. S.O. 2906(E), dated 17-11-2009. Now Delhi Development Authority, in exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) with the previous approval of the Central Government, hereby further extends these rates for the year 2009-2010 also.

[F. No. F. 20(4) 05/MP/Pt-1A]

V. M. BANSAL, Principal Commr.-cum-Secy.